HARYANA VIDHAN SABHA

Bill No. 20 — HLA OF 2023

THE HARYANA PRIVATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) BILL, 2023

A

BILL

further to amend the Haryana Private Universities Act, 2006.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Haryana Private Universities (Amendment) Act, 2023. Short title.

2. In the Schedule to the Haryana Private Universities Act, 2006, after serial number 25 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be added, namely:— Amendment of Schedule to Haryana Act 32 of 2006.

"26. Sanskaram University District Jhajjar".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

There is a need for creation and expansion of educational institutions for improving opportunities of higher education for the youth of the State. In order to accommodate the unprecedented growth of students in higher education, and also to cross the target of 50% gross enrolment ratio (GER), as per National Education Policy, 2020 we need to roughly double the number of institutions at all levels by 2030. The Government intervention would not be adequate to meet this benchmark in higher education. We need to enlist the participation of private sector in a major way. Haryana Private Universities Act, 2006 has been brought essentially to rope in private sector to supplement the initiative of Government in expanding the capacity in higher education and up-scaling its standards.

To achieve the objectives enshrined in the Act, proposal has been made to setup of Sanskaram University in Jhajjar.

Hence, this Bill.

MOOL CHAND SHARMA,
Higher Education Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 14th December, 2023.

R.K. NANDAL,
Secretary.

N.B.— The above Bill was published in the Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 14th December, 2023, under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

ANNEXURE

EXTRACT FROM THE HARYANA PRIVATE UNIVERSITIES ACT, 2006

SCHEDULE

(See section 6)

6. The Government, if satisfied, after considering the report submitted under sub-section (2) of section 5 that the sponsoring body has complied with the provisions of sub-section (1) of section 5, may, by an Act of the State Legislature, establish a private university with such name, location, jurisdiction and with such infrastructure as may be specified in the Schedule. Establishment of university.

Sr. No.	Name of University	Location
1	O.P. Jindal Global University, Village Jagdishpur **(Now Deemed University) under UGC vide notification No. Leg. 11/2020 vide Haryana Act No. 10 of 2020 dated 04.05.2020**	District Sonepat
2	The Northcap University	District Gurgaon
3	Amity University	Village Gwalior, Panchgaon (Near Manesar) District Gurgaon
4	Apeejay Stya University	District Gurgaon
5	Maharishi Markandeshwar University	District Ambala
6	NIILM University	District Kaithal
7	Baba Mast Nath University	District Rohtak
8	MVN University	District Palwal
9	Sushant University	District Gurugram
10	Shree Guru Gobind Singh Tricentenary University	District Gurgaon
11	Jagan Nath University	Bahadurgarh (Haryana)
12	G.D. Goenka University	Sohna Road Gurgaon
13	K.R. Mangalam University	Sohna Road Gurgaon

Sr. No.	Name of University	Location
14	SRM University	Sonepat (Haryana)
15	Ashoka University	District Sonepat
16	Al-Falah University	District Faridabad
17	BML Munjal University	District Gurgaon
18	Manav Rachna University	District Faridabad
19	PDM University	District Jhajjar
20	Starex University	District Gurgaon
21	World University of Design	Sonipat
22	IILM University	Gurugram
23	Om Sterling Global University	Hisar
24	Rishihood University	District Sonepat
25	Geeta University	District Panipat

10765—H.V.S.—H.G.P., Pkl.

[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2023 का विधेयक संख्या–20 एच०एल०ए०

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023
हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006
को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की अनुसूची में, क्रम संख्या 25 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :– 2006 के हरियाणा अधिनियम 32 की अनुसूची का संशोधन।

"26. संस्कारम् विश्वविद्यालय जिला झज्जर"।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

राज्य के युवाओं को उच्चतर शिक्षा में बेहतर अवसर प्रदान करने हेतू शैक्षणिक संस्थाओं की संरचना और विस्तार की आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों की अप्रत्याशित वृद्धि को समायोजित करने की व्यवस्था में और 50% सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुसार प्राप्त करने के लिए भी हमें सभी स्तरों पर वर्ष 2030 तक संस्थाओं की संख्या में मोटे तौर पर दोहरी वृद्धि करने की आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षा में इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार का हस्तक्षेप पर्याप्त नहीं होगा। हमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रमुख रूप में शामिल करने की आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षा और इसके मानकों के पैमाने की क्षमता का विस्तार करने में सरकार की पहल के अनुपूरक में हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 को अनिवार्यतः लाया गया है।

इसके अतिरिक्त अधिनियम में वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतू जिला झज्जर में संस्कारम् विश्वविद्यालय स्थापित करने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव का प्रतिपादन किया गया है।

अतः बिल प्रस्तुत है ।

मूल चंद शर्मा,
उच्चतर शिक्षा मंत्री,
हरियाणा।

चण्डीगढः
दिनांक 14 दिसम्बर, 2023

आर० के० नांदल,
सचिव।

अवधेयः उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 14 दिसम्बर, 2023 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबन्ध

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 से उद्धरण

अनुसूची

(देखिए धारा 6)

6.	धारा 5 की उप–धारा (2) के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, यदि सरकार संतुष्ट है कि प्रायोजक निकाय ने धारा 5 की उप–धारा (1) के प्रावधानों का अनुपालन किया है, तो राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा, ऐसे नाम, स्थान, अधिकार क्षेत्र और ऐसे बुनियादी ढांचे के साथ एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित कर सकती हैं, जिसे कि अनुसूची में निर्दिष्ट किया जा सके।	विश्वविद्यालय की स्थापना।

क्रमांक संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	अवस्थिति
1	ओ पी जिन्दल ग्लोबल विश्वविद्यालय (अब डीम्ड विश्वविद्यालय) यूजीसी के तहत अधिसूचना संख्या 11/2020 के तहत, 2020 की हरियाणा अधिनियम संख्या 10 दिनांक 04.05.2020.	जिला सोनीपत
2	द नार्थकैप विश्वविद्यालय	जिला गुड़गांव
3	एमिटी विश्वविद्यालय	गांव ग्वालियर, पचंगांव (नजदीक मानेसर) जिला गुड़गांव
4	एपीजे सत्य विश्वविद्यालय	जिला गुड़गांव
5	महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय	जिला अम्बाला
6	एनआईआईएलएम विश्वविद्यालय	जिला कैथल
7	बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय	जिला रोहतक
8	एम0वी0एन0 विश्वविद्यालय	जिला पलवल
9	सुशांत विश्वविद्यालय	जिला गुरूग्राम
10	श्री गुरू गोविन्द सिंह त्रि.शताब्दी विश्वविद्यालय	जिला गुड़गांव
11	जगन नाथ विश्वविद्यालय	बहादुरगढ़ (हरियाणा)

क्रमांक संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	अवस्थिति
12	जी0डी0 गोयन्का विश्वविद्यालय	सोहना रोड़ गुड़गांव
13	के0आर0 मंगलम विश्वविद्यालय	सोहना रोड़ गुड़गांव
14	एस0आर0एम0 विश्वविद्यालय	सोनीपत (हरियाणा)
15	अशोका विश्वविद्यालय	जिला सोनीपत
16	अल–फलाह विश्वविद्यालय	जिला फरीदाबाद
17	बी0एम0एल0 मुंजाल विश्वविद्यालय	जिला गुड़गांव
18	मानव रचना विश्वविद्यालय	जिला फरीदाबाद
19	पी0डी0एम0 विश्वविद्यालय	जिला झज्जर
20	स्टारैक्स विश्वविद्यालय	जिला गुड़गांव
21	विश्व डिजाइन विश्वविद्यालय	सोनीपत
22	आई0आई0एल0एम0 विश्वविद्यालय	गुरूग्राम
23	ओम स्ट्रलिंग ग्लोबल विश्वविद्यालय	हिसार
24	ऋषिहुड विश्वविद्यालय	जिला सोनीपत
25	गीता विश्वविद्यालय	जिला पानीपत।

10765—H.V.S.—H.G.P., Pkl.